समुदाय व संरक्षण

समुदाय आधारित जैवविविधता संरक्षण तथा आजीविका सुरक्षा

अंक ५, नं.३ अक्टूबर २०१४

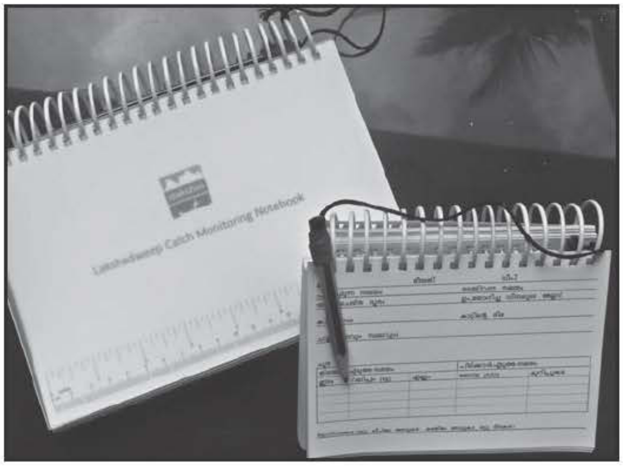

विषय सूची

संपादकीय

१. **चिंतन**
- भारतीय मछुआरों के मुद्दें और चुनौतियाँ

२. **समाचार और घटनाक्रम**
- मैनग्रोव तटीय संरक्षण का साधन
- विशेषज्ञों का दुर्लक्ष कछुओं के संरक्षण का आहवान
- पाकिस्तान ने १५१ बंदी मछुआरों को बाघा बॉर्डर पर सौपा
- उड़ीसा के समुद्री खाद्य निर्यात में तेजी
- मछुआरों के कल्याण के लिये नयें मंत्रालय की माँग
- एन.एफ.एफ का मछुआरा समुदाय के संसद को मंत्रीपरिषद में प्रतिनिधित्व का आग्रह
- विजहिन जैम समुद्री पोर्ट परियोजना पर एन.जी.टी. में याचिका

३. **बहस,परिप्रेक्ष्य और विश्लेषण**
- समुद्री जैवचोरी और भारत
- जिला स्तरीय समितियां: आश्वासन या समुदायिक प्रतिनिधित्व
- समुद्र में खनन:जमीन कम पडी

४. **केस स्टडी**
- लक्षद्वीप मे पोल और लाइन टुना फिशरी का स्थायित्व: चुनौतियाँ और बदलाव
- ओडिसा के गंजम जिले के तटीय गाँवों में समुद्री संरक्षण के लिये महिलाओं का स्वसहायता समूह

संपादकीय

दो मिलियन से ज्यादा लोग समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने और इससे जुड़ें सहायक उद्योगों से जुड़े हुये है। भारतीय मछुआरे भू–क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर अपने भाई–बहनों की तरह ही कई वर्षो से गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और स्वास्थ की समस्याओं के साथ रहते आ रहे हैं। यह हमारे लिये दुर्भाग्य है कि २०१२ के आंकडे हमें मछली उत्पदन करने वाले बडे देशों की श्रेणी में ७ वें स्थान पर रखते हैं और मूलभूत मुद्दें ज्यो के त्यो बने हुयें है। भारतीय मछुआरों को प्राप्त कानूनी संरक्षण बहुत कम है और इसको भी अमल में शायद ही लाया जाता है। इसमें मछुआरों के अधिकारों, परामर्श की प्रक्रियॉं, परंपरिक मछली पकड़ने के तरीकों आदि को लेकर बहुत सीमित अवसर है। वर्तमान में चल रही व्यवस्था में गरीब समुदायों के पक्ष में न होकर उद्योगों के पक्ष में ज्यादा है।

मछुआरों के समुदायों और मत्सय क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को दूर करने और उनके कल्याण के लिये अलग मंत्रालय का होना जरुरी है। इसके अलावा यह भी जरुरी समझा जा रहा है कि मछुआरा समुदाय के संसद को मंत्री पद दिया जाये और इस समुदाय को जनजातियों की सूँची में भी शामिल किया जायें। यह इसलिये जरुरी नही है कि यह मछुआरों के समुदाय की सुरक्षा से जुडा हुआ है बल्कि इसलियें भी जरुरी है क्योकि महासागर की जैवविविधता की सुरक्षा भी महत्त्वपूर्ण है । यह भी सवाल है कि लंबे समय से चले आ रहें मुद्दों के समाधान में मछुआरा समुदाय के अलावा और कौन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है?

इसको लेकर कोई भ्रम नही है कि समुद्री जैवविविधता के ऊपर गंभीर खतरा है। इसके अलावा समुद्री जैव चोरी भी एक वास्तविकता है। समुद्री संसाधनों की दवाईयों, सौंदर्य प्रसाधन, खनिज, तेल क्षेत्र और अन्य क्षेत्र के उद्योगों में मांग बहुत ज्यादा है। बौद्धिक संपदा, पूर्व सूचित अनुमति, पहुंच और लाभ की भागीदारी से जुड़े मुद्दें भी विवादित है और जिसके समाधान की स्थिति बहुत दूर जान पडती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गयी संधियों की अधिकार क्षेत्र से जुड़ी सीमायें है और कुछ मामलों पर विवादपूर्ण हो जाती है। हमारे पर्यावरण कानून बताये गये इन मुद्दों को हल नही करते है। यह स्थिति तब है जब हमारें समुद्री जैव संसाधनों,पारंपरिक ज्ञान और तटीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित रखने के लिये जरुरी कदमों को उठायें जाने की आवश्यकता है और इसके समाधान को लेकर राजनैतिक इच्छा शक्ति की अनुपस्थिति संदेहास्पद है।

हमारे समुद्रों को इसमे से दुर्लभ खनिजों के लिये खनन का भी जोखिम है। भारत भी इन खनिजों के लियें चल रही समुद्र खनन की दौड में शामिल हो गया है । यदि रिपोर्टो की माने तो भारत के इस प्रयास को चीन के हिंद महासागर में चल रही गतिविधियों के संदर्भ में देखा जा रहा हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि खनिजों की खोज के लिये जंगलों की तबाही से हम संतुष्ट नही है क्योकि अब हम समुद्र को खगालेगे। हमे इसका कोई अनुमान नही है कि समुद्र को खगालने से हमारी महासागरीय जैवविविधता को कितना नुकसान होगा। समुद्री परिस्थितकीय को पृथ्वी पर जीवन का आधार कहा जाता हैं और अब उस पर गंभीर खतरा हैं। इसके अलावा बंदरगाहों को बनानें पर किये जा रहे निवेंश भी हमारे सामने चुनौती है । समुद्री परिस्थितकीय विशेंषकर मैनग्रोव और कोराल रीफ के महत्व को स्वीकार करते हुये भारत ने समुद्र संरक्षण और प्रबंधन के लिये प्रयासों को शुरु किया है। समुद्री परिस्थितकीय पर्यावरण संरक्षण कानून १९८६ के तहत परिस्थितकीय तौर पर संवेदनशील निर्धारित किया गया हैं और तटीय नियंत्रण क्षेत्र (सी.आर.जेड) १९९१ नोटिफिकेशन (अधिसूंचना) में मैनग्रोव और कोरालरीफ क्षेत्र में विकास के कार्यों को करने और गंदगी को डालने की मनाही हैं। ये क्षेत्र ऐसे है जिसमें समुद्री जैवविविधता को होने वाले नुकसान और बाधाओं से बचना है।

भारत ने ३०० बंदरगाहों (पोर्ट) की योजना तैयार की है। इनमें से अधिकार बंदरगाहों को मैनग्रोव मछलियों का उत्पादन वाले क्षेत्र में लाने की योजना हैं। इन क्षेत्रों को सी.आर.जेड नोटिफीकेशन में सी.आर.जेड–१ की श्रेणी में रखा गया है। सी.आर.जेड का वास्तविक और प्रमुख लक्ष्य तटों की सुरक्षा शामिल है। परन्तु, दुर्भाग्य से आर्थिक विकास की तलाश में इस तरह के सभी वादों की अनदेखी की गयी है।

हमारे महासागर अपने जीवित संसाधनों के अतिदोहन,आवासों के क्षरण और नुकसान, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी बढती हुई गंभीर जोखिमों का सामना कर रहा है। दूसरी तरफ,महसागर स्थानीय लोगों की सांस्कृतिक और आर्थिक पहलू से गहराई से जुड़ा हुआ है। सरकार ने वन्यजीव संरक्षण कानून १९७२ के तहत राज्य सरकारों के माध्यम से समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क (एम.पी.ए) को स्थपित करने का काम शुरु किया है। एम.पी.ए. का विचार भू–भाग में स्थापित संरक्षित क्षेत्रों के प्रोफेसर कार्तिक शंकर ने अपने लेख जिसका शीर्षक ''भारत में विनाशकारी समुद्री संरक्षण''[१] में लिखा है कि ''भारत में संरक्षण का काम और विश्लेषण भू–भाग की परिकल्पना से जुड़ा रहा है। राष्ट्रीय नीतियों में राष्ट्रीय उदयान और अभयारण्य से युक्त संरक्षित क्षेत्रों में बहुत ज्यादा जोर रहा है। इससे भू–भाग क्षेत्र में कुछ सफलता मिली है। परन्तु, विस्तृत समुद्र के संदर्भ में इसकी उपयोगिता संदेह में है। इसको ध्यान में रखना चाहियें कि भारत की तट रेखा पूरी तरह से घनी आबादी वाला है और तटीय जल को बड़े स्तर पर परंपरिक और आधुनिक समुदायों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। ऐसा जान पड़ता है भू–भाग में संरक्षण से जुड़े लोगों को अलग रखने का मॉडल

१. देखे, Making Conservation Work,(eds) Gazala Shahabuddin and Mahesh Rangarajan, Permanent Black.

तटों पर काम नही कर सकता हैं। तटों पर समुद्री संरक्षण स्वयं ही समावेशी भागीदारी की पहल को करेगा।''

एम.पी.ए. को विशेष तौर पर सरकार द्वारा प्रबंधित किया जाता हैं। इसमें स्थानीय समुदायों की कोई भूमिका तय नही हैं। जबकि समुद्री संरक्षण का एम.पी.ए एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है लेकिन ये अपनी क्षमताओं पर पूरी तरह से खरे नही ऊतरते है और समुदायों पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं।

इसके कई उदाहरण हमारे सामने है जो यह बताते है कि जहॉं भी स्थानीय समुदायों की भूमिका मत्सय प्रबंध में रहती है वहॉं समुद्री संरक्षण का काम बहुत अच्छा रहा है। एक अध्ययन[२] से पता चला है कि भारत के पश्चिम तट का ११०० किमी से अधिक संरक्षित क्षेत्र का प्रबंधन स्थानीय समुदायों के द्वारा किया जा रहा है। हिंद महासागर के बडे क्षेत्र में तटीय समुदाय अपने संसाधनों की सुरक्षा में ज्यादा से ज्यादा जिम्मेंदारी को ले रहे हैं। इसके लिये स्थानीय समुदाय संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का कार्य कर रहे है।इस पहल को स्थानीय प्रबंधित समुद्री क्षेत्र (एल.एम.एम.ए) के तौर पर जाना जाता है। एल.एम.एम.ए में स्थानीय समुदायों को केंद्र में रखा जाता हैं। जिसमें मछुआरें अपनी आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और परंपरिक परिस्थितियों के अनुरुप स्वयं प्रबंधन के निर्णयों को लेते है। यह मॉडल कीमत की दृष्टि से प्रभावी, विस्तारवाला, लचीलापन और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन से जुड़े ऊपर से नीचे के प्रबंधन के पारंपरिक विकल्प की विशेषता वाला होने के कारण इसकी सामाजिक स्वीकार्यता भी होती है।

संरक्षण अंदोलन ने दो महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व को खो दिया हैं जो भारतीय मछुआरों के न्याय के लिये लड़ने में सबसे आगे थे। ८ मार्च २०१४ को इंटरनेशनल कलेक्टिव इन सपोर्ट ऑफ फिशर वर्क (आई.सी.यस.एफ) की प्रमुख चंद्रिका शर्मा मलेशिया एयरलाइन एम.एच.३७० के उस विमान में थी जो हिंद महासागर के ऊपर उडान के समय लापता हो गया था। चंद्रिका शर्मा अथक होकर छोटे मछुआरों के मानव अधिकारों और लिंग समानता के लिये कार्य करती रही थी। इस साल के मई में हमने थॉमस कोचेरी को खो दिया है। थॉमस मछुआरों के समुदायों से जुड़े कई आंदोलनों से जुड़े होने के साथ आप राष्ट्रीय मत्सय कामगारों के संगठन के अध्यक्ष भी रह चुके थे। आपके पास राष्ट्रीय जन आंदोलन के समूह की कमान थी। आपके मछुआरों के विश्व मंच को स्थापित करने के लिये गये प्रयास के लियें संयुक्तराष्ट्र संघ ने 'अर्थ ट्रस्टी' पुरस्कार से सम्मानित किया था। इन दो निष्ठावान व्यक्तित्व की याद में हम ''समुदाय और संरक्षण'' के इस अंक को समर्पित करते हैं।

मिलिंद

२. http://ourworld.Unu.edu/en/local-communities-playing-vital-role-in-marine-conservation.

१. चिंतन

भारतीय मछुआरों के मुद्दे और चुनौतियॉं

भारत की (जिसमें लक्ष्यद्वीप और अंदमान द्वीप समूह शामिल है) तटीय रेखा ८११८ किमी लंबी है। इस तटीय रेखापर विभिन्न प्रकार के तटीय परिस्थितकीय जैसें इस्चुअरी, लैगुन, मैनग्रोव, बैकवांटर, खारेपानी का दलदली क्षेत्र, चट्टानों वाला, रेतीला और कोरल रीफ वाला क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में २.०२ मिलियन वर्ग किमी क्षेत्र में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ई.ई.जेड)[३] फैला है। लंबाई और विभिन्न प्रकार के समुद्री उत्पादों के लिये जाने जानी वाली यह तट रेखा मत्सय (मछली) क्षेत्र के लिये भी बहुत महत्व रखती हैं।

तथ्य बताते है कि २०१२ में बडी संख्या में मछलियों को उत्पादित करने वाले बड़े देशों की श्रेणी में भारत का स्थान ७ वां था। इस दौरान भारत का उत्पादन लगभग ३.४ मिलियन टन का था,जिसपर लगभग ४ लाख भारतीय मछुआरें निर्भर थे। भारतीय समुद्री क्षेत्र में लगभग १ लाख मछुआरे सक्रिय तौर पर मछलियों को पकडने में लगे है और १.६ मिलियन लोग इस क्षेत्र में मत्सय क्षेत्र से संबंधित और सहायक उद्योगों में कार्य कर रहे है। इसके अलावा, ये लोग मछली पकड्ने में अस्थायी रुप से जुड़े है जिसमे ०.४ मिलियन महिलायें है।

२०१० में केन्द्रीय समुद्री मत्सय शोध संस्थान (सी.एम.एफ.आर.आई) की जनगणना से पता चला हैं कि भारत में ३२०० गांव मछुआरों के हैं और तट रेखा पर १५११ लैडिंग सेंटर है। इन गांवो में रहने वाले विभिन्न जातियों से संबंधित है और जाति विशेष कि अपनी एक विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक संरचना और परंपरिक तरीके है। ये मछुआरों का संगठन या समुदाय कृषि क्षेत्र के कृषि समुदायों की व्यवस्थायें बिल्कुल अलग हैं। मछुआरा समुदायों से जुड़ी संस्थायें (जैसे कि तमिलनाडु में जाति पंचायतें, पेड्डुअलू या पोड्डु व्यवस्था) विवदो के निपटारे के साथ संसाधनों के उपयोग पर नियंत्रण और स्थानिक तथा तात्कालिक रुप से संसाधनों तक बराबर की पहुंच को सुनिश्चित करती है। इन संस्थाओं की स्थापना जाति,धर्म और संबंध के आधार पर की जाती है। इन परंपरिक संस्थाओं के अलावा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थायें भी सक्रिय रहती है जैसे नाव मालिकों का संगठन, ट्रेडयूनियन, सहकारी संस्थायें; मंडल, गियर आधारित समूह और स्वसहायता समूह है। इसके अलावा यहाँ पर महिलाओं का संगठन भी काम करते है। महिलाओं के संगठनों में से एक संगठन मछली उत्पादन के बाद के कार्यों (काम) के क्षेत्र से जुडी महिलाओं द्वारा बनाया गया है।

३. संयुक्तराष्ट्र संघ की समुद्र पर कानून की संधि के तहत ई.ई.जेड एक ऐसा क्षेत्र हैं जिसमे देश को समुद्री संसाधनों की खोंज और उपयोग का विशेष अधिकार देता है जिसके अंतर्गत जल और वायु से उर्जा उत्पादन को शामिल किया गया है। यह क्षेत्र तट से २०० नाटिकल माइल दूर स्थित क्षेत्र होता है।

सी.एम.एफ.आर. के डॉ. विवेकानंद ने बताया है कि भारत की तट रेखा को उसकी परिस्थितकीय और विशेषताओं के आधार पर २२ जोन में बांटा जा सकता है। भारत में उपयोग में लाये जा रहें मछली पकडने के जहाजों में विविधता हैं इसमें परंपरिक बेडो से लेकर मसुला नावें, लकडी से बनी नावें, डोंगिया, मचवा और डोनिस के अलावा फाइबर ग्लास से बनी नावे,आधुनिक ट्रावलर्स, ग्लिनिटर्स और लांग लाइनर्स शामिल है। यहां पर यह भी गौर करने वाला तथ्य है कि भारत का सबसे ज्यादा मछली उत्पादन लघु (छोटे) मत्सय क्षेत्र से आता है। भारत में मछली पकडने वाला समुद्री क्षेत्र राज्य और केंद्र दोनों के अधिकार क्षेत्र में क्षेत्रीय जल क्षेत्र में मछली पकडने को रखा गया है और ई.ई.जेड पर मछली पकडना केंद्र के अधिकार क्षेत्र में हैं। राज्यों ने समुद्र मत्सय कानून और नियमों को १९५८ में अपनाया था। राज्यों नें परंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करके मछली पकड़ने के लियें क्षेत्रों का निर्धारण किया हैं और इसके अलावा क्षेत्रिय जल क्षेत्र में मछली पकडने को नियंत्रित करने के लिये मछली पकडने वाले जहाजों को लाइसेंस देने की भी व्यवस्था हैं। इसके अलावा कुछ प्रतिबंधो को भी अमल में लाया गया हैं जिसमे मानसून में मछली पकडने की मनाही को ''वर्जित समय'' निर्धारित किया गया है और कुछ गियरों के उपयोग की मनाही है। लेकिन इन सभी उपायों को आमल में लाने को लेकर राज्य अधिकारियों द्वारा अनदेंखी की जाती रही है। भारत ने २००४ में मछली पकडने से जुडी नीति को अपनाने के साथ ई.ई.जेड की भी स्थापना की है लेकिन इन उपायों के अलावा कोई दूसरी कानूनी व्यवस्था नही है जिससें मत्सय क्षेत्र को प्रबंधित किया जा सके। छोटे स्तर की मत्सय क्षेत्र को व्यवस्थित करने के लिये भी कोई कानूनी व्यवस्था नयी बनायी गयी है। इसके बावजूद भी मछुआरे के समुदाय ने परंपरिक प्रबंधन के तरीकों को अपनायें रखा है और हाल हि में मछुआरों नें संसाधनों और अपनी जिविका की सुरक्षा के लिये अलग से प्रयासों को शुरु किया हैं। इस तरह के कुछ प्रयासों को तमिलनाडु में अपनाया गया है कि मन्नार की खाड़ी में एक दिन छोडकर मछली पकडने को अपनाया गया है। इस उपाय या प्रयास के अलावा अन्य उपायों को मछुआरों के समुदाय और मत्सय विभाग ने मिलकर अपनाया है। इसके अलावा कुछ उपाय मछुआरो ने स्वयं अपनाया हैं। जिसमे पोडु व्यवस्था या मन्नार की खाड़ी में समुद्री खरपतवार का संग्रह करने वाली महिलाओं द्वारा उपाय को अपनाया हैं। महाराष्ट्र के मछुआरों की यह मांग तेज हो रही है कि पाबंदी के समय को ६० दिन से बढाकर ९० दिन किया जायें। मछली पकडने को नियंत्रित करने से जुड़ी पहल के साथ–साथ संरक्षण के प्रयास इसके उदाहरण है।१९८९ से मछुआरों के समुदाय की मांग करत्ते आ रहे है कि तटो की सुरक्षा की जाये (जिसके लिये राष्ट्रीय मछुआरा फोरम में कन्याकुमारी पदयात्रा की), प्रस्तावित तटीय क्षेत्र प्रबंधन अधिसूंचना को वापस लेने की मांग (२००८ में गुजरात से बंगाल तक यात्रा और क्लियर द कोस्ट की मांग) और तटीय नियंत्रण क्षेत्र अधिसूंचना (१९९१ और २०११) को अमल में लाने की मांग शामिल हैं।

संरक्षण कानून के अंदर तय समुद्री और तटीय संसाधनों के संरक्षण के लिये मछुआरों के समुदाय ने बडी कीमत चुकायी हैं। वन्यजीव संरक्षण कानून १९७२ के तहत समुद्र तटीय क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों को स्थापित किया गया है। इन आरक्षित क्षेत्रों में संसाधनों का संग्रहण और उत्पादित करना प्रतिबंधित और नियंत्रित किया गया हैं। इन राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की स्थापना मछुआरों से परामर्श किये बिना की गयी है। इस व्यवस्था में संरक्षण और सुरक्षा के लिये उसी व्यवस्था को अमल में लाया जाता है जो भू–भाग पर है,परन्तु यह समुद्री और तटीय परिस्थितकीय के संदर्भ में प्रासंगिक नही हैं।

अधिकतर मामलों में मछली पकडने में नियंत्रण और मनाही के कारण स्थानीय समुदायों की जीविका प्रभावित हुई है। इस स्थिति में जहॉं भी मछुआरों के गाँव दूर स्थित हैं उन गाँवों पर गरीबी ज्यादा होने के साथ मूलभूत सेंवाओं की उपलब्धता की कमी हैं। यह भी सामने आया है कि लगभग सभी निर्धारित समुद्री और तटीय संरक्षित क्षेत्रों (एम सी.पी.ए) को स्थापित करने की प्रक्रियॉं में स्थानीय समुदायों से किसी भी प्रकार का परामर्श नही किया गया है। विशेष तौर पर उन लोगों के साथ भी नही जो संसाधनो पर आश्रित हैं। अक्सर मछुआरों को जानकारी भी नही होती है कि क्षेत्र को संरक्षित किया गया हैं जैसा कि मन्नार की खाडी के मामले में हुआ था। इसके बारे में समुदायों को तब पता चला जब उनको उनके मछली पकड़ने के स्थान और संसाधनों के उपयोग करने से रोका गया। अलावा क्षेत्रिय जल क्षेत्र में मछली पकडने को नियंत्रित करने के लिये मछली पकडने वाले जहाजों को लाइसेंस देने की भी व्यवस्था है, इसके अलावा कुछ प्रतिबंधो को भी अमल में लाया गया हैं जिसमे मानसून में मछली पकडने की मनाही को मफ्वर्जित समयफ्र निर्धारित किया गया है और कुछ गियरों के उपयोग की मनाही हैं। लेकिन इन सभी उपायों को अमल में लाने को लेकर राज्य अधिकारियों द्वारा अनदेंखी की जाती रही है। भारत ने २००४ में मछली पकडनें से जुड़ी नीति को अपनाने के साथ ई.ई जेड़ की भी स्थापना की हैं लेकिन इन उपायों के अलावा कोई दूसरी कानूनी व्यवस्था नही है जिससें मत्सय क्षेत्र को प्रबंधित किया जा सके। छोटे स्तर की मत्सय क्षेत्र को व्यवस्थित करने के लिये भी कोई कानूनी व्यावस्था नही बनायी गयी है। इसके बावजूद भी मछुआरों के समुदाय ने परंपरिक प्रबंघन के तरीकों को अपनायें रखा हैं और हाल हि में मछुआरों नें संसाधनों और अपनी जीविका की सुरक्षा के लिये अलग से प्रयसों को शुरु किया हैं। इस तरह के कुछ प्रयासों को तमिलनाडु में अपनाया गया है कि मन्नार की खाड़ी में एक दिन छोडकर मछली पकडने को अपनाया गया है। इस उपाय या

प्रयास के अलावा अन्य उपायों को मछुआरों के समुदाय और मत्सय विभाग ने मिलकर अपनाया है। इसके अलावा कुछ उपाय मछुआरो ने स्वयं अपनाया है। जिसमे पोडु व्यवस्था या मन्नार की खाड़ी में समुद्री खरपतवार का संग्रह करने वाली महिलाओं द्वारा उपाय को अपनाया हैं। महाराष्ट्र के मछुआरों की यह मांग तेज हो रही है कि पांबदी के समय को ६० दिन से बढाकर ९० दिन किया जायें। मछली पकडने को नियंत्रित करने से जुडी पहल के साथ–साथ संरक्षण के प्रयासों को भी अमल में लाया गया है। महाराष्ट्र और उडीसा में किये जा रहे संरक्षण के प्रयास इसके उदाहरण है। १९८९ से मछुआरों के समुदाय की मांग करते आ रहे है कि तटो की सुरक्षा की जाये (जिसके लिये राष्ट्रीय मछुआरा फोरम ने कन्याकुमारी पदयात्रा की), प्रस्तावित तटीय क्षेत्र प्रबंधन अधिसूंचना को वापस लेने की मांग (२००८ में गुजरात से जून २०१४ में तमिलनाडु राज्य योजना आयोग की एक मिटिंग में मन्नार की खाडी के मछुआरा समुदाय के प्रतिनिधियों और राज्य के वन तथा मत्सय विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल थे,उसमें अनुशंसा दी कि मछुआरोके समुदाय वन अधिकार कानून (एफ.आर.ए.) २००६ के प्रावधानों के तहत अपने समुदायिक अधिकारों से जुडी प्रक्रियां के पहले कई कदमों को उठाया जाना बाकी हैं। अभी भी अधिकतर मछुआरों के समुदायों के बीचं ग्रामसभाओं का अस्तित्व नही हैं और अधिकतर तटीय क्षेत्रों में एफ.आर.ए का निर्धारित जिलास्तरीय समिती नही हैं। डब्लू.एल.पी.ए में स्थानीय समुदायों विशेष तौर पर छोटे और परंपरिक मछुआरों को अपने व्यवसायिक हितों की सुरक्षा में भागीदारी को मान्यता दी गयी हैं। जबकि,एफ.आर.ए. में समुदायों के संसाधनों के टिकाऊ उपयोग को मान्यता दी गयी है। परन्तु कानूनों के इन प्रावधानों को अमल में लाने से अभी कोषों दूर है। यदि एफ. आर.ए. में समुद्री और तटीय क्षेत्रों के मुद्दों को लिया जाता है तो यह एक महत्वपूर्ण शुरुआत होगी क्योकि अभी तक ऐसा कोई अवसर या मौका नही आया है जब सरकारी विभागों ने इन क्षेत्रों के लिये एफ. आर.ए. का उल्लेख किया हो। ऐसी स्थिति तब है जब एफ.आर.ए. को लागू हुये ८ साल बीत गये है। जबकि परंपरिक मछुआरों के समुदाय की यह मांग रही है कि एफ.आर.ए की तरह तटीय क्षेत्रों के लिये भी एक कानून होना चाहियें। इस मांग को लेकर आगें बहुत प्रयास नही किया गया हैं, केवल एक प्रारुप तैयार किया गया था जो की प्रसंगिक नही है।

समुदायों ने केवल संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण के लिये ही कीमत नही दी हैं बल्कि उनको तटीय क्षेत्रो में विकास के कार्यों के लिये भी कीमत चुकानी पड़ी है। समुदायों को नये पोर्टों (बंदरगाहों) को स्थापित करने और अन्य विकास के कार्यों जैसें तापीय बिजली प्लांटों (थर्मल पावर प्लांटों) की तट में स्थापना से उनको बिना किसी उचित पुर्नस्थापना की योजना के विस्थापित होना पडा है या इसके अलावा उनको ब्रेकवाटर सी वाल या जीटरी जो तटीय बहाव को रोकता है जिसके कारण होनेवाले क्षरण के परिणामों का सामना करना पडता हैं। इस स्थिती के बावजूद भी अभी तक समग्र प्रभाव आंकलन को लेकर कोई प्रयास किया गया हैं और सी. आर.जेड के उल्लघन को रोकने की दिशा में कदम उठायें गये है। कई जगहों पर मछुआरों के समुदायों ने अपने तरीकों (जी.आइ.यस. और मैपिंग यंत्र) का उपयोग करके अपने तट का मैप बनाना शुरु किया हैं ताकि विकास के कार्यों से पडने वाले प्रभावों को लोगों के लाया जा सके और तट के क्षरण या नुकसान को रोका जा सके।

कानूनों में ऐसे व्यवस्थायें है फिर भी छोटे मछुआरों के समुदायों की संसाधनों तक पहुंच और उपयोग को अभी पहचाना नही गया है। इसके साथ तटीय और समुद्री मछलियों के समग्र रुप से प्रबंधित करने के लिये भी कोई व्यवस्था नही हैं।

अत: यह जरुरी है कि समुद्री और तटीय परिस्थितकीय जो अपने में संसाधनों के तर्क संगत उपयोग,संरक्षण और व्यवहारिक प्रबंधन के साथ–साथ छोटे और परंपरिक मछली पकडने के क्षेत्र में संजोयें रहता है या इनका सम्मिलित रुप है,के लियें एक विस्तृत और संगत कानूनी संरचना को बनाया जायें।इस तरह की कानूनी संरचना को बनाते समय यह जरुरी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की समुद्र पर कानून से जुड़ी संधि यू.एन.सी.एल.ओ.यस.),संयुक्त राष्ट्र संघ मत्सय मंडारण पर सहमति (यू.एन.एफ.यस.ए.), एफ.ओ.ए. का १९५० का जिम्मेदार मत्सय क्षेत्र से जुड़े दिशा निर्देशों(सी.सी.आर.एफ.)और जून २०१४ में खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में छोटे मत्सय क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़े दिशा निर्देशों पर सहमति को भी ध्यान में रखकर कानूनी संरचना में शामिल किया जाये। यहां पर यह जानना जरुरी है कि हालहि में स्वीकार किये गयें दिशा–निर्देशों में

तथ्य और विचार

- विश्व के कुल महासागरों में से केवल २ प्रतिशत महासागरीय क्षेत्र को किसी न किसी प्रकार से सुरक्षित किया गया है और कुल कोराल रीफ का १५ प्रतिशत ही समुद्री आरक्षित क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन की श्रेणी में आता है। विश्व के महासागरों के सामनें आ रही कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान में समुदाय आधारित समुद्री संरक्षण व्यवस्था उपयोगी हो सकती है।
- लघु मत्सय क्षेत्र विश्व के ५०० मिलियन से अधिक लोगों की जीविका में सह्योगी है। स्थानीय समुदायों को उनको प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिये दिया जा रहा प्रशिक्षण और सहयोग उष्णकटिबंधीय मत्सय क्षेत्र को स्थापित करने में महत्वपूर्ण हैं।
- विश्व के १ मिलियन से ज्यादा लोग प्रोटीन की जरुरत के लिये समुद्री खाद्य उत्पायों पर निर्मर है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिये मत्सय क्षेत्र का उचित प्रबंधन आवश्यक हैं।
- विश्वभर के ५० मिलियन लोग भोजन और आमदानी के लिये कोराल रीफ पर निर्मर हैं। मत्सय की सुरक्षा और समुद्री

जैवविविधता की सुरक्षा से जुड़े उपायों के लियें समुदाय आधारित प्रबंधित क्षेत्र की भूमिका बहुत उपयोगी हो सकती हैं।

जिम्मेदार मत्सय और वर्तमान तथा भविष्य की पीढी के सतत सामाजिक और आर्थिक विकास जिसमें छोटे मछली पकडने, मत्सय क्षेत्र से जुड़े और मत्सय क्षेत्र के संबंधित कामों से जुडे लोग,जिसमें अधिकार हीन लोग भी शामिल है। ये सब मानव आधारित व्यवस्था पर जोर देते है। जैवविविधता पर संधि से जुडे हिस्सेदार देशों के सम्मेलन में लिये गये निर्णयो में संरक्षित क्षेत्र के योजना,प्रबंधन और बराबरी के प्रबंधन में स्थानीय और जनजातियों के प्रभावी भागीदारी की बात कही गयी हैं। भारत के लिये जरुरी है कि वह इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुये समुद्री और तटीय परिस्थितकीय में क्षेत्र आधारित व्यवस्था से अधिक सूक्ष्म और समग्र व्यवस्था को अपनायें। साथ ही कानूनी संरचना के प्रारुप को तैयार करते समय ऊपर बतायी गयी कानूनी बाध्यताओं को भी ध्यान में रखना जरुरी हैं।

सहयोगः रामया राजगोपलन (ramya.rajagopalan@gmail.com), मछुआरे पे सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय समूह (आइ.सी.एस.एफ) ओल्ड नंबर.२७.न्यू .नं ५५ कॉलेज रोड चैन्नई–६०००0६.

✦✦

२. समाचार और घटनाक्रम

मैनग्रोव तटीय संरक्षण का साधन

उड़ीसा के केंद्रपारा जिले के बदाकोढा गांव के लोगों ने समुद्री तट के क्षरण को रोकने के लिये मैनग्रोव उगाने के प्रयसों की शुरुआत की हैं। स्वयंसेवी संगठन ऐ पोवा जो वन्यजींव को काम कर रही हैं उसने गांव वालों के साथ मिलकर मैनग्रोव के जंगलों को विकसित करने का प्रयास शुरु किया हैं। गांव के चारो ओर इस तरह के जंगलो के विकास के काम की शुरुआत में केवल कुछ ग्रामीण ही इस काम के लिये तैयार हुये थे। बाद में सभी गांव वालों को इसके लिये तैयार कर लिया गया। ऐपोवा के कार्यकर्ता समय–समय पर ग्रामीणों को सलाह देते है इस सम्मिलित प्रयासों के परिणामं भी मिलने लगे है।जब से ग्रामीणों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी की हैं तब से पीछें मुडकर नही देखा है।ग्रामीणो ने सुरक्षा के प्रयासों को बेहतर बनाने के लिये ग्रामीण मेनग्रोव कांउंसिल का गठन किया है जिसके तहत ग्रामीण बारी–बारी से इस जंगल की रखवाली करते हैं।

स्रोतः–http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-otherstates/growing-mangrove-forests-to-fight-sea-erosion/article5984582.ece

विशेषज्ञों का दुर्लक्ष कछुओं के संरक्षण का आहवान

एशिया में हाल के वर्षों में काले धब्बे वाले कछुओं के गैर–कानूनी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेजी आयी हैं। व्यापार में आयी इस तेंजी को तत्काल रोकने की आवश्यकता हैं।क्योकि, वन्यजीव व्यापार निगरानी समूह (ट्राफिक) ने बताया है कि ''आकर्षक चेहरे वाले काले धब्बे वाले कछुओं (जियोक्लिमस हेमिलटोनी) में कमी आयी है।''

कछुओं की इस प्रजाति को मीट,दवाईंयों और पालने के लिये व्यापार किये जाने के लिये जाना जाता हैं। ट्राफिक की नयी शोध से सामने आया है कि इस प्रजाति कि पालतू रखने के लिये व्यापार में तेजी आयी है। इस प्रजाति को संबंधित देशों द्वारा राष्ट्रीय कानूनों के जरियें सुरक्षित किया गया हैं और इसको संकटग्रस्त वन्यजीवों एंव वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधि कि सूंची– I में शामिल किया गया हैं।इस प्रजाति से जुड़े व्यवसायिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गैर–कानूनी है।

प्राकृतिक संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आई.यू.सी.एन.) एशिया के रिसोर्स ग्रुप के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी जेमस टालेंट ने बताया कि ''आई.यू.सी.एन. के २५ महत्वपूर्ण नाजुक संकटग्रस्त कछुओं और साफ पानी वाले कछुओं से जुडी सूंची में से १७ इस क्षेत्र में पाये जाते है।'' टालेंट ने बताया कि आई.यू.सी.एन. कई भागीदारों के साथ मिलकर काम कर रहा है इसमें ट्राफिक भी शामिल है ताकि जैवविविधता के नुकसान का मुकाबला किया जा सकें।

स्रोतः–http://thanhniennews.com/education-youth/experts-call-for-conserving-rare-turtles-ahead-asean-meeting-26620.html

पाकिस्तान ने १५१ बंदी मछुआरों को बाघा बॉर्डर पर सौपा

पाकिस्तान ने मई २७ को १५० भारतीय मछुआरों को और एक अन्य बंदी को जिनको सीमा पार करने पर पकड़ा गया था. उनको बाधा बॉर्डर पर भारतीय अधिकारियों को सौपां था। इस कदम को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण में शामिल होने के मौके में सदभावना के रुप में देखा जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि ५९ कैदियों को करांची के मालीर जेल से और ९२ कैदियों को हैदराबाद के नारा जेल से रिहा किया गया था।

बाधा बार्डर पर सीमा सुरक्षा दल को सौपे गये १५१ लोगों में १५० मछुआरे और एक अनजाने में सिंघ सीमा पार करने के लिये करांची जेल में बंद था।

एक मछुआरा नानजी सोमा ने बताया कि मफ्मै अनपढ़ आदमी हूँ, लेकिन मेरा लडका ऐसा नही होगा। वह १० साल का हैं और स्कूल जाता है। मेरे न रहने पर मछुआरा समुदाय ने उसको स्कूल भेजने में मेरे परिवार की मदद की है।फ्फ

स्रोतः–http://indianexpress.com/article/india/india-others/151-indian-fishermen-prisoners-handed-over-by-pakistan-at-wagah/

उड़ीसा के समुद्री खाद्य निर्यात में तेजी

उडीसा राज्य में समुद्री खाद्य में प्रभावी तौर पर तेजी है। इस तेजी के पीछे अंतराष्ट्रीय बाजार में भारतीय झींगे की बढती हुई मांग और भारतीय मुद्रा में आयी कमजोरी को कारण माना जा रहा है।राज्य में २०१२–२०१३ में निर्यात भारतीय मुद्रा में रु ९२० मिलियन (या १६१ मिलियन डालर) था. जो मार्च २०१३–अप्रैल में बढकर रु १८००० मिलियन (या ३०६मिलियन डालर) हो गया, जो कि १०५रु प्रतिशत से ज्यादा की बृद्धि को बताता है।

स्रोत:–http://www.fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=&day=29&id=68822&l=e&special=&ndb=1%20target=

मछुआरों के कल्याण के लिये नयें मंत्रालय की माँग

गोइंचेआ रामपोनकरांचो एकपोट (जी.आर.ई) ने बी.जे.पी.सरकार से आग्रह किया हैं कि मछुआरों के कल्याण से जुड़ी मछुआरा समुदाय की लंबे समय से चली आरही शिकायतों को दूर करने के लिये मत्सय मंत्रालय का अलग से गठन किया जाये। लंबे समय से मछुआरे अलग से मंत्रालय की मांग करते आ रहे है। राष्ट्रीय मछुआरा फोरम के सचिव और जी.आर.टी. के संयुक्त सचिव ओसिनसिओ सिभोस ने बताया कि इसकी अनुशंसा मुरलीधर राव और प्रकाश मालगवे के मार्ग दर्शन में बीजेपी की मछुआरा इकाई द्वारा की गयी है।

स्रोत:–http://timesofindia.indiatimes.com/city/goa/Have-separate-ministry-for-fishermens-welfare-GRE/articleshow/35612501.cms

एन.एफ.एफ. का मछुआरा समुदाय के सांसद को मंत्री परिषद में प्रतिनिधत्व का आग्रह

राष्ट्रीय मछुआरा कामगार फोरम ने प्रधानमंत्री के पद के लिये नरेन्द्र मोदी के चुने जाने पर बंधाई देते हुये उनसे आग्रह किया कि मंत्रीपरिषद में मछुआरा समुदाय के संसद को शामिल करे। और,केंद्र के स्तर पर मत्सय मंत्रालय का अलग से गठन करे और मछुआरा समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूंची में शामिल करे।

स्रोत:–http://www.newindianexpress.com/states/tamil_nadu/Fishing-Community-Wants-Union-Minister/2014/05/21/article2236458.ece

विजहिन जैम समुद्री पोर्ट परियोजना पर एन.जी.टी. में याचिका

राष्ट्रीय ग्रीन ट्रीब्युनल ने आदेश दिया है कि विजहिनजैम समुद्री पोर्ट परियोजना के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई एन.जी.टी. की प्रमुख पीढ (पीठ) दिल्ली द्वारा की जायेगी। जबकि केरल राज्य की मांग है कि याचिका की सुनवाई चेन्नई पीठ के समक्ष किया जाना चाहिये। चेन्नई बेंच (पीठ) पहले से ही इस प्रस्तावित परियोजनाओं को लेकर दायर कई याचिकाओं की सुनवाई कर चुका हैं।

इस परियोजना को लेकर दो तरह की याचिकायें एन.जी.टी.में दायर की गयी हैं। एक चैन्नई बेच में यहां के ही जोसेफ विजयन क्रिस्टोफर और माइकल ने दायर की हैं।जिसमें इस परियोजना को दी गयी पर्यावरण स्वीकृति को निरस्त करने की मांग की गयी है।दूसरी याचिका आदिमलाथुरा की मैरीदसान और पुथियाथुरा के क्रिलफोर्ड ने दिल्ली में दायर की है जिसमे सी.आर.जेड अधिसूचना और पर्यावरण स्वीकृति को चुनौति दी गयी है।

स्रोत:–http://www.conservationindia.org/single-external?external=79847

✦✦

३. बहस,परिप्रेक्ष्य और विश्लेषण

समुद्री जैवचोरी और भारत

अधिकार समुद्री संसाधनों को एकत्र का काम विकासशील देशों के अधिकार वाले क्षेत्रों से होता है। प्राय: यह काम संबंधित अथार्टी से उचित मंजूरी लिये बिना किया जाता है। जैवखोज और जैवचोरी के बीच बडा मामुली अंतर के चलते कम विकसित देशों में शक्तिशाली कंपनियां बडी आसानी से चालाकी कर जाती है। पृथ्वी के ७० प्रतिशत क्षेत्र समुद्री होने के साथ समुद्री संसाधनों से घनी क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। यह क्षेत्र छिछला जल क्षेत्र और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ई.ई.जेड) होने के साथ अधिकतर विकासशील देशों के अधिकार क्षेत्र में आता हैं। ये देश जैवचोरी और संबंधित आर्थिक क्षति[४] के प्रभावों से गुजर रहे हैं।

नीचे बतायें गयें प्रत्येक बिंदु समुद्री संसाधनों के दवाई,सौंदर्य प्रसाधन खनिज,तेल और अन्य उत्पादों से जुडी कंपनियों में बढती हुई मांग को बताते हैं।

अ) तमिलनाडु से समुद्री बीड (घास–पूस) को इक्कठा करने के लिये बदनाम पेपसिको और इसकों राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण द्वारा दी गयी विवादित मंजूरी।

ब) १९९१ से बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे रहोने पाउलीनी रोवट और मीरीक एडं कंपनी की समुद्री जीवों को दवाईयों के लिये एकत्र करने में सक्रिय उपस्थिति।

४. Qanungo, Kushal. “Time for a New Deal on Marine Bioprospecting.” SciDev.Net. N.p., 2002. Website: http://www.scidev.net/global/biodiversity/opinion/time-for-a-new-deal-on-marine-bioprospecting.html

क) बडे स्तर पर कोराल और समुद्री जीवों का पेटेंट भारतीय समुद्र में कंपनियों जैसे क्लीन टेक लेब्रोटरीज और नेनोसिट इंक द्वारा २००३–२००६ के बीच रेकार्ड ५९ पेटेंट।[५]

कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ जो कानूनी तौरपर बाध्यकारी है जैसे जैवविविधता पर संधि और समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि,१९९४ और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन शामिल है। ये सभी संधियां जैव चोरी के संबंध में, पूर्ण में प्राप्त जानकारी के आधार पर स्वीकृति, पहुंच और लाभ में हिस्सेदारी को बताने के साथ–साथ समुद्री शोध को करने के लिये दिश–निर्देशों को भी बताते है। जबकि इन संधियों की उपयोगिता सीमित हैं इनके साथ सबसे बडी समस्या यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून क्षेत्र के दायरे में आने वाले जल क्षेत्र पर मिलने वाले समुद्री संसाधनों पर लागू नही होता है। एक दूसरा विषय यह है कि वर्तमान पेटेंट से जुड़े आवेदनों में संसाधनों के उत्पत्ति या मूल क्षेत्र को बताने की आवश्यकता नही हैं जो कि सही मायनों में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विचार के विपरीत हैं। यदि किसी संसाधन के दोहन लिये आये प्रस्ताव को एक तटीय क्षेत्र खारिज कर देता है तो उसी संसाधन विशेंष के दोहन के लिये अनुमति देने को पडोसी क्षेत्र सहमत हो सकता हैं। इसके चलते खारिज करने वाले राज्य के पास सीमित अवसर होगे क्योकि इससे अर्थव्यवस्था और समुद्री जैवविविधता दोनों की नुकसान होगा। और इससे संरक्षण और जैव चोरी रोकने के प्रयासों में परेशानी आयेगी।

जैवविविधता पर संधि (सी.बी.डी) १९९२ और बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यपारिक पहलू पर संधि (ट्रिप्स) १९९६ ऐसी दो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधियों हैं जो समुद्री जैवचोरी से संबंधित है। ये दो अंतर्राष्ट्रीय कानून पेटेंट पहले से जानकारी के आधार पर स्वीकृति की आवश्यकता और लाभ में भागीदारी की व्यवस्था के मुद्दों में एक दूसरे के विरोधा मास में है। इसलिये इसमें कोई आश्चर्य नही है कि ट्रिप्स ने दक्षिण में समुदायों के परांपरिक ज्ञान के उपयोग से तैयार किये गये उत्पादों में निजी मालिकाना के लिये रास्ता साफ किया है।[६]

इन विवादित और विरोधा भासी कानूनों को २०१० में नागोया में आयोजित जैवविविधता पर संधि जिसें नागोया प्रोटोकोल के नाम से जाता है और जिसमें अनुवांशिक संसाधनों और परंपारिक ज्ञान को रखने वालो के अधिकारो को सुरक्षित रखना हैं जबकि शोध करने वालों को कम कीमत पर भरोसे मंद और तय सीमा तक इन संसाधनों तक पहुंच के अवसर देती है। इस प्रोटोकॉल में बहुराष्ट्रीय कंपनियों और शक्तिशाली देशों के बीच करार के तहत या बिना करार के लेन–देन के संदर्भ में दिशा–निर्देश को बताया गया है। इसमें कम शक्तिशाली देशी समुदायों और विकासशील देशों के लिये भी दिशा–निर्देश भी दिये गये हैं।[७]

भारत ने इस प्रोटोकॉल को २०११ में स्वीकार किया था। जबकि भारत ने अन्य मिलती–जुलती संधियों में प्रोटोकॉल के प्रावधानों को लागू करने में कोई महत्त्वपूर्ण कदम नही उठाये है। इसके लिये जरुरी कार्यों में बीज बैंकों का विकास, वनस्पति उद्यान और एकत्र करने के लिये तय किये गये संसाधनों के सैंपल का द्स्तावेंजीकरण की योजना शामिल है। भारत सरकार की उत्पाद सूचना पर शोध और विकास (यू.आर.डी.आइ.पी.) ने भारतीय जैव संसाधनों जिसमें समुद्री संसाधन शामिल है,के विश्वभर में दिये गये पेटेंट का एक डाटाबेस तैयार किया है। ऐसा माना जाता है कि यह डाटाबेस जैवसंसाधनों के पेटेंट जैवचोरी का पता लगाने व्यवसायिक दोहन और उपयोग,तकनी की विकास और लाभ में भागीदारी जैसे विषयों में सहायता करेगा।[८] भारत का तटीय क्षेत्र बहुत लंबा (लगभग ७५१७ कि.मी.) होने और जैव संसाधनों में धनी होने के कारण भारत के लिये जरुरी है कि भारत के पास ऐसे डाटाबेस और बैंक ज्यादा से ज्यादा हो। भारत के लिये यह भी जरुरी है कि उसके पास दस्तावेंजीकरण समझ और समुद्री परिस्थितकीय के संरक्षण के लियें नयी तकनीकी हो जो अबतक हमारे कानूनी और आर्थिक चिंताओं के परिप्रेक्ष्य से बाहर रही है।

दुर्भाग्य से भारत के पर्यावरण से जुडे कानून जैसे वन्यजीव संरक्षण कानून या जैवविविधता कानून समुद्री जैवविविधता और अनियंत्रित समुद्री अनुवांशिक और प्रजतियों की जैव चोरी के मुद्दों को समाधान करने में असफल रही है। जैवविविधता कानून २००२ में जैव चोरी के संदर्भ में संशोधन की आवश्यकता है। पहला और प्रमुख काम यह है कि यह स्वीकार्य किया जाये कि समुद्री जैवविविधता की विविधता इसकी उत्पत्ति के स्रोत से जुड़े है और इस तथ्य को उपलब्ध कानूनों में समुद्री जैवविविधता के संरक्षण के उद्देश्य के रुप में नही लिया गया है।जिसके कारण महत्त्वपूर्ण संसाधनों जिनका संरक्षण आवश्यक है उनके संरक्षण में कानून असमर्थ है। क्योंकि अधिकार कानून क्षेत्रीय सीमा क्षेत्रों के संदर्भ में हैं।

बौध्दिक संपदा के मालिकों की लाभ में भागीदारी और पेटेंट राजस्व को एकत्र करने में पहचान नही किया जाना अनुचित है। कानून के प्रावधान अधिकतर विदेशी आवेदकों के पक्ष में है। भारतीय रिसर्च और खोजकर्ता अपने अविष्कारों और परिणामों का पेटेंट नही करा सकते है। विदेशी आवेंदक वैश्विक पेटेंट के तहत भारतिय जैवविविधता प्राधिकरण की अनुमति लिये बिना आवेदन कर सकते है। जैसेकि भारतीय की अनुमति लिये बिना आवेदन कर सकते

५. Demunshi, Ypsita, and Archana Chugh. “Patenting Trends in Marine Bioprospecting Based Pharmaceutical Sector.” Journal of Intellectual Property Rights 14 (n.d.): n. pag. Mar. 2009.

६. Lemeire, Saskia. Biopiracy. Thesis. Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent, 2013

७. “The Nagoya Protocol.” Convention on Biological Diversity. Website:http://www.cbd.int/abs/about/

८. Das, Dipannita. “Soon, Database on Indian Bio-resources.” The Times of India. 2011.

है। जैसेकि भारतीय कानून भारतीय सीमाओं के बाहर प्रभावी नही है।[९] इस स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय निकाय जैसें समुद्र से जुडी संयुक्त राष्ट्रसंघ की अनौपचारिक सलाहकारी प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय समुद्रतल अथार्टी,प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जैव प्रोसपेक्टिंग अथार्टी और दूसरों को बराबर की हिस्सेदारी और विवादों का समाधान किया जा सकता है।

समय की मांग है कि हमारी प्राकृतिक समुद्री जैवसंसाधनों परंपारिक ज्ञान और स्थानीय तटीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित रखने की दिशा में उचित कदम उठाया जाना चाहिये। इस उद्देश को पाने के लिये हमे प्रावधानों की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही यह भी जरुरी है कि हम समुद्र तल की वास्तविकताओं को ध्यान में रखे ताकि समुद्री जैवविविधता को प्रभावी तरीके से संरक्षित किया जा सके। भारत को अपने समुद्री डाटाबेस का विस्तार करते हुये समुद्री जल क्षेत्र में विस्तृत शोध को करना चाहिये और बढावा देते हुये पेटेंट में हिस्सेदारी और बौद्धिक अधिकार से जुडे कडे कानूनों को बनाना चाहिये। इन उपायों के अलावा यह भी जरुरी है कि भारतीय तट रेखा में स्थानीय स्तर पर इनकों प्रभावी तरीके से अमल में लाया जाये। वैज्ञानिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में परिस्थितकीय की अच्छी समझ कमजोर समुद्री परिस्थितकीय और समुद्री जैव चोरी और संबंधित विनाश को रोकने में उचित कानून और व्यवहारिक समाधान के लिये मदद करेगा।

सहयोग: राधिका मुले, (Radhika Mulay (radhikamulay7@gmail.com) आपने फाउंडेशन फॉर लिबरल एंड मैनेजमेंट ऐजुकेशन (फ्लेम), पुणे पर्यावरण कानून पर अध्यायन किया है और आप निकट समय में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में वांटर साइंस पोलसी और मैनेजमेंट में एम.एस.सी. के लिये जाने वाली है।

जिला स्तरीय समितियां आश्वशन या सार्थक समुदायिक प्रतिनिधित्व

आज के दौर में विश्व के सभी तट विवादों से घिरे हुऐ है। विवादों में कई पक्ष हें। जिसमें समुदाय,उद्योग और राज्य सरकार एक पक्ष है। हमारे पास इस विवादों के समाधान के लिये कानून ही एक तरीका है। इसमें भी एक सवाल उठता है कि क्या एक पार्टी जो विवादों से जुडी है, उसके द्वारा बनाये गये कानून अधिकारहीनों की चिताओं का प्रभावी तरीके से समाधान कर सकते है। स्थानीय समुदायों को योजनाओं को बनाने और अमल में लाने की प्रक्रियां से बाहर रखना समुद्री और तटीय संरक्षण से जुडी नीतियों और उपायों की असफलता का कारण है। असफलता के इस कारण को पहचानते हुऐ विश्वस्तर पर तटीय प्रबंधन और मत्सय (मछली) प्रशासन पर चल रहे विचार–विमर्श में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि इन दोनों में मछुआरा समुदायों की भागीदारी तय की जा सके।

भारत में मछुआरा समुदायों,ट्रेड यूनियनों और जनसमूहों की लगातार यह मांग रही हैं कि मछुआरा समुदायों को संबंधित कानूनी निर्णय लेने वाले ओर निर्णयों को अमल में लाने वाले निकायों में शामिल किया जाना चाहियें।इस विषय पर ऐसा पड़ता है कि कुछ हद तक सफलता मिली है जेसा कि तटीयक्षेत्र रेग्यूलेशन अधिसूचना, २०११ के प्रावधानों में इसकी संभावना है। इस अधिसूचना में प्रावधान है कि निचले स्तर पर जिलास्तरीय समिति (डी.एस.पी) में तटीय समुदायों के कम से कम तीन प्रतिनिधियों को शामिल किया जायेगा। लेकिन यह सवाल भी उठता हैं कि इस प्रावधान के कारण शक्तियों के विकेन्द्रीकरण,पारदर्शिता,निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी और बराबर की हिस्सेदारी जेसे लक्ष्यों को कहां तक पाया जा सका हैं। भारत के प्रत्येक और सभी तटीय राज्यों को इसके बारे में विचार करते हुऐ इन चुनौतियों की सामना करने की आवश्यकता हैं। यहां पर कर्नाटका की कुछ परिस्थितियों के बारे में चर्चा की गयी हैं।

शक्तिहीन निकाय:

तटीय प्रदेशों में कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां सी.आर.जेड., २०११ के प्रावधानों के तहत डी.एल.सी. का गठन किया है। इसका मतलब है कि कर्नाटका के तीन तटीय जिला मछुआरा समुदाय के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ डी.एल.सी.है। सी.आर.जेड. के प्रावधान जन प्रतिनिधियों की बात तो करते है पर यह नही बताते है कि इनका चयन कैसे होगा और इनकी भूमिका और जिम्मेदारी डी.एल.सी. में क्या होगी? कानून में इसकी कमी के कारण राज्य में डी.एल.सी के पास निर्णय लेने की कोइ जिम्मेदारी नही है। यह केवल सी.आर.जेड.की मंजूरी के लिये आये प्रोजेक्टों के आवेदनों पर अपनी अनुशंसाये राज्य तटीय प्रबंधन प्राधिकरण (यस.सी. जेड.एम.ए.) को भेज देते है। राज्य स्तरीय प्रबंधन प्राधिकरण अपने निर्णय प्रक्रिया में डी.एल.सी. की अनुशंसाओं को शामिल करने या खारिज करने के लिये पूरी तरह से स्वतंत्र है। और,ऐसा करने के पीछे लिये गये निर्णय या तर्क को डी.एल.सी के साथ साझा करने के लिये बाध्य भी नही हैं। राज्य की इस तरह की कार्यशैली को लेकर डी.एल.सी में शामिल प्रतिनिधि असंतुष्ट है,जो कि जायज हैं। प्रतिनिधियों का मानना है कि डी.एल.सी जुडे वर्तमान स्वरुप में प्रावधान अपर्याप्त है और इसकी तत्काल जरुरत है कि वास्तविक निर्णय प्रक्रियां से जुडी शाक्तियों का हस्तांतरण हो। और इस विचार पर उनकी मांग है कि केवल वक्तव्य नही दिया जाये जैसा कि अभी तक होता आया हैं।

पारदर्शिता पर प्रश्न चिंह

कर्नाटका में मत्सय विभाग को जिम्मेदारी दी गयी है कि वह जन–प्रतिनिधियों को चयन करें जबकि अन्य राज्यों में जहां भी डी.एल.सी

९. Jagdale, Scahin. “From Biopiracy to Bioprosperity.” Express Pharma, 2008.

का गठन किया गया है, वहां प्रतिनिधियों को चुनने की जिम्मेदारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या वन विभाग को दी गयी है। कर्नाटका के संदर्भ में डी.एल.सी में महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों को चुनने के लिये ही संमवतः यह जिम्मेदारी मत्सय विभाग को दी गयी है।यदि डी.एल.सी के स्तर पर समुदाय की चिंताओ को स्पष्ट तौर पर शामिल करना है तो सही समुदाय के नेताओं या समुदाय के प्रतिनिधियों को शामिल करना महत्त्वपूर्ण है। लेकिन इसकी कोई गारंटी नही है कि जब कर्नाटका में डी.एल.सी. का पुनर्गठन होगा तो सही प्रतिनिधियों को शामिल किया जायेगा क्योकि जिले का मत्सय विभाग समुदाय के प्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रियां के समय किसी भी समुदायिक संस्थाओं जैसे:ट्रेड यूनियन या परंपरिक संस्थाओं से परामर्श नही करता है।यह स्थिति उन राज्यों की भी है जहां मत्सय विभाग डी.एल.सी गठन में शामिल है या नही है।

चिंताओं को उठाना

सी.आर.जेड की जिस प्रक्रियां के तहत डी.एल.सी का गठन किया जाता हैं उसमे ये है कि समुदाय अपनी चिताआं को चुने गये प्रतिनिधियों के माध्यम से विचार करने के लिये रख सकते है।समुदाय अपनी चिंताओं को चुने गये प्रतिनिधियों के माध्याम से विचार करने के लिये रख सकते हैं। समुदाय की चिंताओं में सी.आर.जेड. के उल्लंघन से लेकर कई छोटे कार्य शामिल है जेसें लोगों को अपने घर के निर्माण के लिये सी.आर.जेड.मंजूरी लेने के लिये ६ पेंज लंबे फार्म को भरना पडता हे जो उनके लिये अनुपयुक्त है, शामिल है। डी.एल.सी में शामिल प्रतिनिधियों के पास वर्तमान व्यवस्था में बदलाव के लिये और समुदाय की चिंताओं से जुडी कोई भी शक्तियां नही है। वो इनको केवल यस.सी.जेड.एम.ए. को विचार के लिये भेज सकते है। यस.सी. जेड.एम.ए में कोई भी समुदाय का सदस्य नही होता हे जो कि प्रभावी तौर पर स्थानीय हाथों को उनकी चिंताओं और निर्णय प्रक्रिया सें दूर रखना है। डी.एल.सी से जुडे नये प्रावधानों में यह संदेश है कि यदि हम साथ में है और समान प्रतिनिधित्व को मांग रहे है तो यह संभव है कि एक ऐसे मंच की स्थापना की जा सकती है जो कि समावेशी हो। यह भी सच है कि लडाई यहां पर खत्म नही होती है।सही मायनों में सफलता तभी होगी जब इन तय सामुदायिक स्थानों को पूरे उत्साह के साथ अमल में लाया जायेगा,जिसकी लोग मांग कर रहे है।

सहयोग: मेरियन मेनुयल रिसर्च असिस्टेंट,दक्षिण फाउंडेशन अरुंधती जगदिश रिसर्च असिस्टेंट दक्षिण फाउंडेशन और वारनेल,स्कूल ऑफ फॉरेस्ट्री अॅन्ड नॅशनल रिसोर्सेस जॉर्जिया विश्वविद्यालय में शोधार्ती।

समुद्री में खनन:जमीन कम पडी

पिछले कुछ वर्षों से समुद्री विश्लेषकों के बीच गहरे समुद्र पर खनन के विषय पर विचार–विमर्श चल रहा है। विश्वस्तर पर खनिज और दुर्लभ धातुओं के प्रति लालसा लगातार बढ रही है और इसी के कारण गहरे समुद्र की सतह जो कि पोली धात्विक और हाइड्रो थर्मल (पन बिजली) का भंडार है के लिये प्रतिस्पर्धा बढ रही है। इस प्रतिस्पर्धा के माहौल में बहुत से देशों ने अपनी समुद्र के अंदर खनिजों की खोज और संग्रहण करने की क्षमताओं को बढ़ाने की मुहीम चालू कर रखी है।

भारत भी दुर्लभ धातुओं के लिये गहरे समुद्र पर खनन से जुड़े खोज और विकास की दौड में शामिल हो गया है। भारत की गहरे समुद्र में खनन के लिये हाल में शुरु की गयी पहल को चीन के संदर्भ में हिंद महासागर की कूटनीति से जोडकर देखा जा रहा है। भारत ओडिसा के पूर्वी तट में एक दुर्लभ भू–खनिज प्रसंकरण प्लांट का निर्माण कर रहा हैं और लगभग १३५ मिलियन अमेरिकी डालर का निवेंश एक नयें खोजी जहाज को खरीदनें में खर्च कर रहा है। इसीक्रम में हाल हि में भारतीय भू–गर्भ सर्वे (जी.यस.आई.) का गहरे समुद्र के लिये खोजी जहाज 'समुद्र रत्नाकर' को प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। समुद्र रत्नाकार गहरे समुद्र में सर्वे क्षण के अत्याधुनिक उपकरणों से युक्त हैं। यह डॉपलर प्रोफाइलर, मल्टीबीम सोनार, एक्युस्टिक पोजिसनिंग सिसटम,समुद्री मैगनोमीटर और समुद्री आंकडों के प्रबंधन की व्यवस्था से सज्ञ है। इसकी यही विशेंषता कई मायनों में अन्य समुद्री सर्वेक्षण जहाजों से गुणवत्ता में श्रेष्ठ है। भारत सरकार योजना बना रही है कि समुद्री विज्ञान विशेषज्ञों और न्यूक्लिअर एनर्जी, आंतरिक्ष शोध और रक्षा क्षेत्र के इंजीनियरों को साथ में लाकर उनकी दक्षता की सहायता से खनिजों के संग्रह करने को बढाया जायें।

यहां पर एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा यह है कि गहरे समुद्र खनन से पर्यावरण पर पडने वाले प्रभावों की जानकारी बहुत कम है। समुद्र खनन से पडने वाले प्रमुख प्रभावों में खनिज और आवासों की क्षति, प्लूयन का उत्पादन और पानी की गुणवत्ता में कमी और ध्वनी और स्पंदन की बाधा शामिल है। खनन से प्रमुख जैवविविधता के स्थान बर्बाद हो सकता है और गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों को तलछ्ट और खतरनाक भारी धातुओं के निकलने से प्रदूषण का खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिती तब है जब विश्व के केवल ३ प्रतिशत महासागर और एक प्रतिशत से कम उच्च समुद्र संरक्षित है जो इनको पृथ्वी के पर्यावरण दृष्टि से संवेदनशील बनाता है।[१०]

गहरे समुद्र तल को समुद्री परिस्थितकीय को पृथ्वी पर जीवन का आधार माना जाता है और यह केवल एक ऐसा क्षेत्र है जो सूर्य के प्रकाश पर निर्भर नही है। यहॉं पर ऐसी प्रजातियॉ पायी जाती हैं जो पृथ्वी पर कही और नही पायी जाती है। पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े डॉ रोड फुजीता ने बताया कि इसकी अत्याधिक जरुरत है कि समुद्री

१०. http://www.greenpeace.org/international/en/press/releases/new-report-deep-sea-running-high-risk/

संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क[११] को स्थापित करके समुद्र के संरक्षण के लिये व्यवस्था को तय किया जाये और इसके साथ ही महासागरों के संसाधनों का दोहन करने वाले सभी क्षेत्रों में उद्योगों पर लागू होने वाले पर्यावरण प्रभाव आंकलन के नये अंतर्राष्ट्रीय मापदंडो को निर्धारित किया जायें। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिये सोने या कॉपर (ताबा) की आवश्यकता नही हैं क्योकि यह जानकारी है कि धरती (जमीन) के बाहर निकाले गये कॉपर का रिसाइकल और पुन:उपयोग कैसे कर सकते है। इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में गहरे समुद्र का खनन केवल संसाधनों, उर्जा क्षमता और पैसे की बर्बादी हो सकता है या हैं। ऐसी नीतियों और योजनाओं को अपनाने की जरुरत हैं जिससें समुद्र तल के पर्यावरण पर पडने वाले प्रभावों को कम किया जा सकता हैं। इसके लियें अस्थायी तौर पर रिफ्युज क्षेत्रों का उपयोग खुदाई किये गये क्षेत्र को समय के साथ विकसित करने के लिये किया जा सकता हैं। खुदाई या खनन से पहले जीव जंतुओं को खुदाई नही किये गये क्षेत्रों से उन स्थानों पर ले जाया जायें जहां पर खुदाई का काम पूरा कर लिया गया हैं। इसके साथ कृत्रिम आधार संरचना (अधो संरचना) को विकसित किया जाना चाहियें ताकि पुनर्स्थापन के अवसरों को बढाया जा सके। यह भी तर्क दिया जा रहा हे कि अतिरिक्त कार्यशील नीतियों को अपना कर होने वाली क्षति को कम किया जा सकता हैं, जैसें खनन प्रक्रियां से प्रदूषित हुये जल का निष्कासन कहाँ किया जायेगा यह सबसें बड़ा सवाल है। खनन के कारण आस–पास रहने वाली समुदायों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पडेगा इसकी संभावना वास्तविक जान पडती है।

सहयोग: टी ऐश्वर्या पुनडीर (aishwaryapundir93@gmail.com), दिव्याशा माथुर (mathur.divyasha@gmail.com) और श्रद्धा सेनगोनकर (shraddha.sen04@gmail.com) ने मिलकर लेख तैयार किया है। आप सभी आई.एल.यस लॉ कालेज पूणें की स्टुडेंट है।

✦✦

४. केस स्टडी

लक्षद्वीप में पोल और लाइन टुना फिशरी का स्थायित्व: चुनौतियां और बदलाव

भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट के बाहर कोराल (प्रवाल), छिछले किनारों और जलमग्न रीफ का द्वीप समूह लक्षद्वीप स्थित हैं।यह क्षेत्र ३२ कि.मी. का होने के बावजूद भी समुद्र से थिरा यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से बडा महत्त्व का हैं। प्राथमिक मछली उद्योग पोल और लाइन टुना मछली पकडने के तरीकों से संवेदनशील रीफ से मछली पकडने के दबाव को कम करना है।यह विचार किया गया कि मछली पकडनें से पडने वाले दबाव को कम करके रीफ परिस्थितकीय को सुरक्षित रखने के प्रयास किया जा सकता है. और इससे लक्षद्वीप की रीफ को भी स्वस्थ रखा जा सकता है। इन प्रयासों के बावजूद भी वैश्विक समस्या जेसे जलवायु परिवर्तन और समुद्र की बढ़ती अम्लीकरण हैं।

दुर्भाग्य से मछली उद्योग घटते हुये भंडारण,बाजार की कीमतों में गिरावट और कीमत में बढोत्तरी का संकट झेल रहा है। स्कीप जैक टुना (एक प्रकार की मछली) तेजी से विकसित करने और विकसित होने बावजूद भी संभवत: अंतर्राष्ट्रीय पर्स सिनर–[१२] (मछली पकडने का एक विशेष तरीका) के चलते दबाव में है। इसके चलते परंपरिक और लाइन फिशरी के लिये बहुत सीमित अवसर बचते हैं। संसाधनों में कमी के कारण महुआरों ने अनुचित तरीकों जैसे मछलीयों को एक जगह ज्यादा से ज्यादा मछलियो को एकटा करने के लिये मशीन (यंत्र) का प्रयोग करते हैं जिसें फिश एग्रीगेशन डिवाइस (एफ.ऐ.डी.) कहते है, का उपयोग करते हें। इसके साथ लांग लाइनिंग का भी उपयोग करना शुरु कर दिया हैं।[१३] एफ.ऐ.डी. एक कृत्रिम संरचना हैं जिसे समुद्री सतह पर फैलाया जाता हैं जो मछलियों को बिना संरचना वाले गहरे समुद्र में आकर्षित करता है। इस प्रकार के मछली पकडने के तरीके से दुर्भाग्य से छोटी–छोटी मछलियां आकर्षित होती है और इस प्रकार के मछली पकडने के तरीके के ज्यादा से ज्यादा अपनाने के कारण अनचाही मछलियों की प्रजातियां भी पकड में आ जाती है। लक्षद्वीप में मत्सय विभाग और मछुआरों के संगठन एफ.ए.डी. को बढावा इस लक्ष्य के साथ देते है।

है कि इससे तय स्थान पर सुरक्षा के साथ मछलीयों के पकडे जाने को भी तय किया जा सके। लक्षद्वीप जैसे द्वीप के संबंध में जानकारी का आभाव और स्किप जेक की उपलब्धता की अनिश्चितता एफ.ए.डी. को जोखिम वाला बनाता है।

पोल और लाइन फिशरी में द्वीप के लैगून और रीफ की विभिन्न किस्मों के अलग–अलग प्लानकट बोरस मछलियों की प्रजातियों का उपयोग लाइव बैट (मछलियों को पकडने के लिये बैट का उपयोग) के रुप में किया जाता है। मछुआरों ने पिछले कुछ वर्षों में यह गौर किया है कि लाइव बैट संसाधन में कमी आयी हैं। आधिक स्तर

---

११. पर्यावरण सुरक्षा कोष पर जानकारी के लिये देखे http://www.edf.org/

१२. एक प्रकार की औद्योगिक मछली पकड़ने का तरीका है। जिसमे ततही बहाव के साथ सीने नेट, विगेड नेट शामिल हैं।जिसको नावों की सहायता से जिस प्रकार निकाला जाता है कि सतह अंदर की ओर बंद हो। इसका उपयोग बडी संख्या में पोल्जिक मछलियाँ को पकड़ने में होता हैं।

१३. यह एक व्यापारी टेक्निक हैं, जिसमें बराबर की दूरी पर लगे हुको वाली लॉंग फिटिंग लाइन का उपयोग किया जाता हैं। इसका उपयोग की सतह पर बीच के क्षेत्र में और नीचे की सतह पर पाये जानेवाली मछलियों की प्रजातीयों को पकड़ने में किया जाता हैं। लॉंग लाईन मे यह भी होता है की अनचाही प्रजातियाँ जैसें कछुये,समुद्री पक्षी,शार्क आदि भी पकड़ में आ जाते हैं।

पर उपल्ब्धता और निहित अस्थिरता के कारण निचले स्तर की परिस्थितकीय पर पडने वाले प्रभाव साफ नही है। सीमित निगरानी और प्रबंधन के होते हुये यह कल्पना करना नामुमकिन है कि लक्षद्वीप में पोल और लाइन फिशरी का भविष्य अच्छा होगा।

दूसरी तरफ ग्रुपर्स और स्नैपर्स जेसी रीफ मछलियों की बढती मांग के कारण और लक्ष्यद्वीप मछलियों की घटती कीमतों के कारण मछुआरें टिकाऊ पोल और लाइन फिशरी को छोडकर अत्यधिक हनिकारक रीफ फिशरी को अपना रहे है जो अल्पकालिक अत्याधिक लाभ तो दो सकता है पर स्थायी नही हैं। ग्रुपर्स और स्नैपस रीफ परिस्थितकीय में महत्वपूर्ण परिस्थितकीय भूमिका निभाती है। इन प्रजातियों के धीमें विकास और देर से प्रौढ होने के कारण इन पर मध्यम स्तर के मछली पकडने के दबाव के बावजूद भी प्रभावित हो रही है। इन संवेदनशील ऐटांलस (प्रवाल द्वीप) पर अनियंत्रित रीफ मछलीयों को पकडने के चलते गंभीर परिस्थितकीय नतीजें आ रहे है।

उचित और पर्याप्तता को प्रमाणित करके बजारों को बढाने,जीविकाओं स्थापित करने और रीफ फिशिंग और लांग लाइनिंग जैसे हानिकारक तरीकों को रोकने में सहायता करेगा। दक्षिण फाउंडेशन डब्लू. डब्लू. एफ. भारत और अंतर्राष्ट्रीय पोल और लाइन फाउंडेशन के साथ मिलकर स्थायी समुद्री खाद्य प्रमाणीकरण के जरियें (जैसे मालद्वीप पोल और लाइन फिशरी को मिला है।) लक्ष्यद्वीप मत्सय क्षेत्रों को सशक्त करने की दिशा में कार्य कर रहा है। वर्तमान में लक्षद्वीप की अधिकातर स्कीप जैक को शुष्क मछली के तौर पर आयात किया जाता है,जिसे मास भी कहा जाता है। इसका खाद्य बस्तु के रुप में उपयोग होता है जिसकी कीमत में लगातर गिरावट आ रही है और इसे समान्यतौर पर श्रीलंका,जपान और दक्षिण–पुर्व एशिया में और उन देशों में जहां समुद्री खाद्य का प्रमाणीकरण को लेकर चिंता नही है वहां उपयोग की जाती है। प्रमाणीकरण से जुड़े फायदों के लियें यह जरुरी है कि लक्ष्यद्वीप टुना यूरोप और अमेरिका के बाजारों तक पहुंचे। हमे साथ में यह भी खयाल रखना चाहियें कि ताजा या जमा हुआ समुद्री खाद्य उत्पादों के आयात से रीफ पर सीधे जोखिम पडेगा यदि रीफ को विशेंष और विस्तृत तौर पर टुना के लिये विकसित नही किया जाता है।

दक्षिण फाउंडेशन ने पोल और लाइन समुदाय के उनलोगों से संपर्क बनाया हैं,जिन्होने हाल में ही काम की शुरुआत की हैं।यह एकरुपता वाला मलयाली मुस्लिम समाज हैं। फाउंडेशन ने अब तक मछली पकडने पर निगरानी पर किताबें अगाती, कवँाराठी और करमाती द्वीपों में ३४ अलग–अलग नावों को दी गयी हैं। इसके साथ हि एक किताब मिनीकॉय को दी गयी है। दक्षिण फाउंडेशन इस समुदाय के साथ उनके दुर्लभ कम प्रभावशाली और अत्यधिक कुशल टुना पकडने की तरीकेंसे जुड़े सामाजिक–परिस्थितकीय अपनों को समझने के लिये प्रसारत है। हमारा जलमग्न क्षेत्र में बैटफिश की जनसंख्या पर सर्वे से बहुत ज्यादा अस्थिरता का पता चला हैं। जिसके लिये पर्यावरण कारणों को उत्तरदायी माना जाता है। लेकिन बैट फिश की संख्या को बढाने में उपयोग में आरही तकनीकों के प्रभाव पर और आगे अध्यन किये जाने की जरुरत है।मछुआरों के साथ साक्षात्कार सें बढती कीमतों, कमजोर बजारों तक पहुंच और विभागों से सीमित सहयोग के बारे में पता चला हैं। जनवरी २०१४,से फाउंडेशन समुदाय के साथ मिलकर स्वयं निगरानी के द्वारा मछली पकडने से जुड़े आंकड़े पर काम कर रहा है। समुदाय आधारित निगरानी की पहल को अगाती, कादमात और कवॉर्ती द्वीपों के साथ शुरु किया गया था। इस पहल को समुदाय द्वारा अच्छी तरह से अपनाया गया है। कुछ और प्रयास शुरु किये गये है जिनमें मछुआरों के संगठनों को बढाना हे जेसे कुछ द्वीपों में इनकी संस्था बहुत कम थी और जिनका उद्देश्य अधिक से अधिक एफ.ऐ.डी. का उपयोग था। दुर्भाग्य से महिलाओं की निगरानी में कोई भूमिका नही थी और मछली पकडने में बहुत सीमित भूमिका रही है। मिनिकॉँप को छोडकर जहां महिलाये प्रोसेसिंग (संस्करण) में भी शामिल है। फाउंडेशन आने वाले समय में लम्बी अवधि को प्राप्त करने के लिये,मत्सय प्रबंध को बढाने और इकोलेबलिंग पुरस्कार को स्थायी बनाने के लिये अपने परिस्थितकीय और समुदायिक आधारित मछली निगरानी कार्यक्रम को मजबूत करने की दिशामे काम कर रहे है।

सहयोग: महिमा जैनी (jainimahima@gmail.com), आप बंगलोर के दक्षिण फाऊंडेशन के साथ रिसर्च असिस्टेंट के रुप में काम कर रही हैं। आप में (यू.एस.ए) मेनी विश्वविद्यालय से समुद्री बायोलॉजी में मास्टर किया हैं। और पिछली दो वर्षो से लक्षद्वीप में काम रहे है।

ओडिसा के गंजम जिले के तटीय गांवों में समुद्री संरक्षण के लिये महिलाओं का स्वसहायता समूह

मारकांडी गांव की ६० वर्षीय कोडां कारमॉ का जीवन उसके गँाव और समुद्र के इर्द–गिर्द ही रहा हैं। करमॉ हर सुबह समुद्र से मछलियों को एकत्र करके बाजार और व्यवसायियों के बेचने के लिये १० किमी पैदल चलती है। इससे उसकी मासिक आमदानी २५०० से ३००० के करीब हो जाती हैं। लगभग ४ साल पहलें उसके मछुआरा पति की मछली पकडने के दौरान डूबने से मृत्यु हो गयी थी। उसके दोनों पुत्र पढ़ाई छोड़कर नौकरी की तलाश में पहले पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश चले गयें और वर्तमान में केरल और मुंबई में है। कारमॉ ने बताया कि मफ्व्रह कभी बेहराम पुर के बाहर कभी नही गयी है और बच्चों को अपने साथ ले जाने को कहा ताकि मै देख सकू कि शहर कैसे दिखाता हैं। और मै आपने कमर दर्द के लिये शहर से अच्छी दावाईयॉ ले सकती हूँ : यहॉ पर अच्छी दवाईयॉ नही है।फ्म्व्रह पिछले तीन सालों से कमर के दर्द को लेकर परेशान हैं।

कारमॉ की पुत्री सरस्वती गाँव के स्कूल में कक्षा–८ में पढ़ती है। सरस्वती ने बताया कि ''मै स्कूल जाना पसंद करती हूँ,लेकिन मेरी कक्षा मे ज्यादा लडकियाँ नही है। उन सभी की एक–एक करके शादी होती जा रही हैं। मेरी माँ भी मेरे लिये भी दुल्हें की तलाश कर रही हैं। पढाई का हमारें लिये कोई उपयोग नही हैं क्योकि छोटे से गॉव में हमें ऑफिस में नौकरी नही मिल सकती है। और, गॉव के बुजुर्ग कहते है कि यदि लडकियाँ ज्यादा पढ–लिख लेगी तो उनकी अपने समाज में शादी करने में परेशानी होगी।'' तट रेखा पर मछुआरों के १५ रिहायशी क्षेत्र में ५००० परिवार रहते हैं इन परिवारों में अधिकतर परिवार गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और स्वास्थ के मुद्दों से रोजाना जूझ रहे है। आंगनबाडी कामगारो पर २००१ की रिपोर्ट में बताया गया है कि इन गॉवों में रहने वाली कुल जनसंख्या का ५० प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गरीबी और बेरोजगारी से लड रही है।

अक्टूबर २०१२ में आये फिलानी चक्रवात के कारण तेज वर्षा और २०० किमी./घंटे की गति से तेज हवाओं ने ओडिसा के गंजम जिले में बहुत ज्यादा मानवीय क्षति हुई थी। इस चक्रवात से हजारों लोग बेघर हो गये थे और मछुआरा समुदाय का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। बी.आई.ई.डब्लू.यस एक स्थानीय संगठन है जो इस क्षेत्र में काम कर रहा है। इस संगठन के प्रयासों से एक स्वसहायता समूह मंडल मफ दिव्य ज्योति महिला विकासफ्फ की स्थापना की गयी है। यह मंडल सक्रिय रुप से जीविका सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये समुद्री संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा की आवश्यकता पर जागरुकता फैला रहा है। महिलाओं का यह स्वसहायता मंडल तटीय गाँवों में चक्रवात के विनाशकारी प्रभावों को कम करने के लिये कैसुरिनास के पेड लगाने में सक्रिय रुप से लगा हुआ है। बी.आई.ई.डब्लू.यस. (व्यूस) संगठन गंजम जिले के तटीय गॉवों में मछुआरा समुदायों के लिये वैकल्पिक जीविका के साधनों को बढाने के लिये नरियल के पेडों को लगाने और किंचन गार्डन को स्थापित करने के लिये भी सहायता कर रहा हैं।

महिलायें मछुआरा समुदाय के दैनिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाती आ रही हैं लेकिन दुर्भाग्य से मत्सय क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को अभी तक पहचाना नही गया हैं। मछुआरा समुदाय के ये महिलायें मछलीयों के पकडे जाने के बाद के कार्यों प्रसंस्कारण और बाजार तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाती आ रही है। महिलायें घर और बाजार दोनों के भार को बडी कुशलता से वहन करती है।महिलांओ की अशिक्षा उनकी भूमिका को मछलियों को बेंचने तक सीमित कारती हैं। दुर्लभ मत्सय संसाधनों के लिये बढती मांग के चलते बढ रही स्पर्धा ने महिलाओं के लिये मछलियों के उत्पादन का मुश्किलों वाला बना दिया है। यातायात के साधनों के आभाव के कारण मछलियों को

१४. ऐसा नही है कि कैसुरिनास में समस्याए नही है। कृपया समुदाय और संरक्षण के समुद्री जैवविविधता पर विशेष अंक,२ अगस्त २०१० में दिये गये बॉक्स–९ को देखें।

बाजार तक ले जाकर बेंचना बडी कठिनाईयों से भरा व्यवसाय हैं। यातायात के साधनों की कमी के चलते महिलायें मछलियों के बोझ को शिर में रखकर रोज ८ से १२ कि.मी. चलती है। वैकल्पिक आय के साधनों की कमी कारण यहां पर मजदूरी भी बहुत कम हैं फिर भी लोग सीमित आमदानी के बावजूद भी लोग मत्सय उद्योगों में लगे हुये है। अर्थिक रुप से कमजोर होने के कारण गंजम जिले कि महिलायें साहूकारों से पैसा उधार लेती है जिसके लिये बहुत ज्यादा व्याज देना पडता हैं, जिससे महिलायें हमेशा कर्जदार बनी रहती है।

व्यावसायिक सहुलियतों के कारण मत्सय क्षेत्र से जुडे कामगार सीमित सकरे तटीय क्षेत्र में रहने को बाध्य है। यहॉ पर कामगार जर्जर छत वाले मिट्टी के घरों में दयनीय स्थितियों में रहते है। कुछ गॉवों जैसे गोपालपुर और आरिजपाली में पर्यटन केंद्रो के होने से यहॉ पर यातयात और संचार की सुविधायें बेहतर है लेकिन अन्य गॉवों में ये सुविधायें अपर्याप्त हैं। इन क्षेत्रों या गाँवो की अधिकतर महिलाये अशिक्षित हैं और यहॉ पर बाल विवाह अभी भी एक वास्तविकता है। मछुआरों की पत्नियॉं शादी के तुरंत बाद मछली पकडने की जिम्मेदारी को संमाल लेती है और वो मछलियों की टोकरी को सिर में रखकर १० से१५ किमी पैदल जाकर घर–घर मछलियों का बेचती है। सीजन में महिलायें दैनिक घरेलू काम के साथ ९ से १२ घंटे मछलियों से जुडे कामों को भी करती है। महिलायें मछलियों के पकडे जाने के बाद के कामों जैसें उनको व्यवस्थित करना, छटना, ग्रेडिंग, गुटिंग (ऑत निकालना), सुखाना और बाजारों तक पहुचाने में लगी हैं। बॉंक्सीपाली, वेंकटराय पुर, दीजीपुर, गोलबंधा और सोनपुर की महिलायें मछलियों के व्यवसाय में काम करने के साथ दैनिक मजदूरी मिलने पर करती है। वी.आइ.ई.डब्लू.यस ने मारकांडी गॉव में ९ स्वसहायता समूह का गठन किया हे जिसमें १८० महिलाओं की भागीदारी है जो सामाजिक और अर्थिक सशक्तिकरण पर काम कई गाँवों में कर रहा हैं।

सहयोग: सौरापाली भीमाराव (views.odisha@gmail.com) Voluntary Integration for Education and welfare Society (VIEWS) संगठन के उडीसा के गंजम जिले में चल रहे जीविका से जुड़े कार्यक्रम के सचिव है।

पाठकों के लिए संदेश:
ि ा ों, ि ा ु ा ं र ि ि ग े र ा र ा ा े ै ो ृ ा ॆ ा ा
kvoutreach@gmail.com र ा े ि े े र े े ॆ।

समुदाय व संरक्षण : समुदाय आधारित जैव विविधता संरक्षण तथा आजीविका सुरक्षा अंक ५ नं. ३ अक्टूबर २०१४

संकलन और संपादन : मिलिन्द वाणी

परामर्श एवं संपादकीय सहयोग : नीमा पाठक

सहयोग : मयंक देव, विकल समदरिया

संपादकीय सहयोग : अनुराधा अर्जुनवाडकर

फोटो : यस महिमा जैनी,श्वेता नायर,सौरपाली भीमाराव

अनुवाद : विकल समदरिया

प्रकाशक :
कल्पवृक्ष,
अपार्टमेंट ५, श्री दत्ता कृपा, ९०८,
डेक्कन जिमखाना, पुणे–४११००४.
फोन : ९१–२०–२५६७५४५०,
फैक्स : ९१–२०–२५६५४२३९
ई–मेल : KVoutreach@gmail.com,
वेबसाइट : www.Kalpavriksh.org

आर्थिक सहयोग : मिजेरिओर, आचेव, जर्मनी

निजी वितरण के लिये

प्रकाशित विषयवस्तु (Printed matter)

सेवा में,